

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)
कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक: आर 18बी (12) 07/संस्था/9638

दिनांक: 16-11-10

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर जरिये सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर जरिये सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	-
3 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा (अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम एवं ग्रा.प. मेड तह0 विराटनगर
(ब) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	ख.न. 2322 रकबा 0.12 है0, ख.न. 2323 रकबा 0.12 है0 ख.न. 5938/2325 रकबा 0.02 है0, कुल रकबा 0.26 है0
(स) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टे. या व.मी. में)	ख.न. 2322 रकबा 0.12 है0, ख.न. 2323 रकबा 0.12 है0 ख.न. 5938/2325 रकबा 0.02 है0, कुल रकबा 0.26 है0 अर्थात 2600 व0मी0 भूमि का रूपान्तरण किया गया।
4 संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5 संदेय प्रीमियम की दर	10.38/- प्रति वर्गमीटर
6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम।	168 दिनांक: 05.10.10 राशि 26,988/- राजकोष में जमा कराई गई।
7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	चालान संख्या 168 दिनांक: 05.10.10 द्वारा निर्माण 800 व0मी0 में निर्माण होने से चार गुना शास्ति के रूप में 33,216/- रुपये राजकोष में जमा कराई गई।
8 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम।	नही
9 क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नही
10 अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	इंडियन रोड कॉंग्रेस के मापदण्डानुसार सड़क/रास्ते की सीमा छोड़ कर निर्माण कराया जावेगा।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
- (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (4) राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रास्ते के लिए आवेदक द्वारा ख0न0 2321/15 रकबा 0.52 है0 भूमि जो खातेदारी में से क्रय की गई है, को राज्यहित निःशुल्क समर्पित करना होगा। समर्पण के पश्चात उक्त भूमि को गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना होगा तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- (5) राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- (6) आवेदित स्थल के निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम कमेटी के द्वारा प्लान अनुमोदित करवाया जाकर ही निर्माण कराया जा सकेगा।
- (7) राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6 (6)राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.2007 एवं प. 6 (6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.07 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- (8) उक्त भूमि पर पहुँच मार्ग आवेदक की अन्य सम्पत्तिवर्तित भूमि में से होना दर्शाया है। अतः आवेदक की पूर्व में रूपान्तरित भूमि के संबंध में जारी रूपान्तरण आदेश में अंकित शर्तों के अनुरूप पहुँच मार्ग के संबंध में पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- (9) आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.2008 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- (10) राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
- (11) सम्पत्तिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 65 (310)एसई/स्थानि/जैसरो/2005/12259 दिनांक: 11.02.2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
- (12) उक्त आवेदित भूमि का 40 प्रतिशत भू-सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में आरक्षित रखना होगा।

जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांक: सम/9639-44

दिनांक: 16/11/10

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कलक्ट्रेट, जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर।
3. तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत मेड पंचायत समिति विराटनगर जिला जयपुर।
5. नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, नवरंगपुरा, विराटनगर, जयपुर जरिये सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. आदेश/गार्ड पत्रावली।

अति0 कलक्टर (राजस्व)
जयपुर

प्ररूप - ख
(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6))

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व/2018/ 1953

दिनांक : 14/12/18

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 5 (Vii) के अधीन संस्थागत प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं,
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	मैड ग्राम पंचायत मैड तहसील विराटनगर 2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	2324/0.12, 2325/0.13 हैक्टेयर कुल 2500 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	डी.एल.सी. दर का 5% (10.87 रु. प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0014331683 Date : 16.12.2016 Rs. - 25000/- (84/16.12.2016) GRN :- 19905574 Date : 30.11.2017 Rs. - 83730/- (352/30.11.2017) प्रीमियम राशि 27182/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	नियमन शास्ति राशि 81546/-रु. कुल राशि 108728/-रु.
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	 नहीं
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	 नहीं, ...
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	 नहीं, ...

14/12/18
उपखंड अधिकारी
विराटनगर
(जयपुर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समपूहृत हो जायेगी।
- नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक : प-6 (6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27.06.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
- आवेदित स्थल के निकटतम नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सक्षम कमेटी के द्वारा प्लान अनुमोदित करवाया जाकर ही निर्माण करवाया जा सकेगा।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नियम 2007 एवं इस संबंध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
- संपरिवर्तन भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 05 (310) एसई/स्थानि/जीसारों/2005/12250 दिनांक 11.02.2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।



विहित प्राधिकारी की मोहरे

14/2/18
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर (जयपुर)

संख्या : राजस्व/2018/

1954.1958

दिनांक : 14/2/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार विराटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयक, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. पटवारी हल्का नवरंगपुरा को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत नवरंगपुरा
- ✓ 6. आवेदक नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिए सचिव भीमसहन गुर्जर तहसील विराटनगर जिला जयपुर
7. कार्यालय प्रति।

14/2/18
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर (जयपुर)

प्ररूप - ख
(देखिये नियम 9 (3), (4) और (6))

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : राजस्व/2022/1210

दिनांक : 14.06.2022

संपरिवर्तन आदेश

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 छ के अधीन संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विराटनगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	 नहीं.....
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	मैड/मैड/ विराटनगर
ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	2329/0.14, 2330/0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा 0.3200 हैक्टेयर सम्पूर्ण यानि 3200 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	DLC दर का 10 % (22.42/- रुपये प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0056805905 Date :- 23-12-2021 Rs- 10000/- GRN :- 0062960705 Date :- 03-06-2022 Rs- 61750/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	 नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम	 नहीं
9. क्या आदेश निगमितकरण के लिए नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।	 नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।	



उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- उक्त संपरिवर्तन आदेश का ट्रेस नक्शा अभिन्न अंग रहेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समपूहृत हो जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- आवेदित संपरिवर्तित भूमि पर यदि बिजली की एच.टी./एल.टी. लाइन गुजर रही हो, तो विद्युत विभाग के नोर्म्स अनुसार निर्माण कार्य किया जावे।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाइन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाइन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में स्थित डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी की मोहर



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
विशदनेगरी (जयपुर)

संख्या : राजस्व/2022/1211-1217

दिनांक : 14.06.2022

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार विशदनेगरी को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विशदनेगरी।
4. पटवारी हल्का मैड को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत मैड।
6. नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड जरिये सचिव श्री भीमसहन पुत्र ओमकार जाति गुर्जर निवासी सेवरा तहसील विशदनेगरी जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।

राज. दिनांक - 06 मा. 07 स. 2022
पुस्तक संख्या - 923
पृष्ठ संख्या - 101 - क्रम संख्या - 2022 0342 1101768
पर पंजीबद्ध किया गया। आते पुस्तक संख्या - 502
पृष्ठ संख्या - 172 तक किया गया है।
उप पंजीयक
विशदनेगरी (जयपुर)

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
विशदनेगरी (जयपुर)

12-1-07

63

(3)

28691

नम्बर रसीद सरख्या.....

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम सुभाष चन्द्र
2. लेख्य-पत्र की किस्म साधारण
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई रुपये 1698
4. प्रतिफल की रकम पैसे 00

क. फीस रजिस्ट्री :

- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 1698
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 150
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 150

ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस

ग. विविध फीस :

- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार पत्र प्रमाणीकरण फीस
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें बसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस

1698/-

फीस के प्राप्त होने की तारीख

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लीटाये जाने या पाने की तारीख

उप. पं. रजि. य. क.

रजिस्ट्री करने वाले अप्रत्यक्ष रजिस्ट्रार (नियम 12)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

536326



विक्रय पत्र

मालियत राशि 1,69,000 / रुपये मात्र

मुद्रांक राशि 11,000 / रुपये मात्र

बकागज 4 दिनांक 8/12/2006 वार शुक्रवार

मै हनुमान आयु 45 साल पुत्र नाथा माली जाति माली निवासी मैड
तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ।

लगातार.....

हनुमान माली

क्रमांक 4373 दिनांक 8/12/06

पूर्विक शुल्क 11,000 वास्ते विडम्पना

नाम नपरेण पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा

पिता का नाम निवासी

जारी में सचिव श्रीम साहन गुप्ता

शैलेश चन्द्र शर्मा

राज्य विद्यालय आदर्श - 5/9/91

विभाग - शिक्षा

$$\frac{5000}{2} + \frac{5000}{2} = \frac{11,000}{4}$$

₹ 11,214.21

यह दस्तावेज आज दिनांक 08-12-06

को दिन 23 दिसम्बर 12.15 बजे

को स्थान नारायण

को सचिव मन्त्री

को द्वारा 1 दिसम्बर 2006

में प्रस्तुत किया गया

₹ 11,214.21

₹ 11,214.21

₹ 11,214.21

उपपंजीयक
षट्सील विराटनगर (जयपुर)

यह विवरण जो कि ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

उपपंजीयक विराटनगर (जयपुर)

उपपंजीयक विराटनगर (जयपुर)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

536320

4 जो कि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2323/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2324/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2325/0.15 है०ए० चाही तृतीय कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.51 है०ए० में मेरा हिस्सा 1/2 है। जो कि मेरे स्वयं की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि सिंचित है। उक्त भूमि सम्पर्क एवं आबादी से 500 मीटर से अधिक दुरी पर स्थित है। इस भूमि के आसपास कोई सरकारी एवं गैर सरकारी या औद्योगिक ईकाई नहीं है। उक्त भूमि सभी प्रकार के आडभार व प्रतिबन्धों से पूर्णतया मुक्त है। एवं पाक व पवित्र है। जिसे हर प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेने का एवं बेचान करने का, रहन ब अ करने का मुझे पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। चूकिं मुझे अपने घरेलु कार्य के लिए रुपयों की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के खाता सं० 961 के आराजी खसरा नं० 2322/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2323/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2324/0.12 है०ए० चाही तृतीय 2325/0.15 है०ए० चाही तृतीय कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.51 है०ए० में मेरा हिस्सा 1/2 यानि 0.25.50 है०ए०

लगातार.....

ए.मानसिंह

पिता का नाम..... निवासी..... जयपुर सचिव श्रीम (एच) सुप्री

~~कीलानाग स्वयं गार्गा~~

James Finley: 1842-1898

• **Chlorophyll** is the green pigment in plants that captures light energy for photosynthesis.

[illegible]

24501



राजस्थान RAJASTHAN

894252

3.
असम्पूर्ण को मय नीव सीव पुला पानी तमाम बाहरी व भीतरी मालिकाना हक हकूक सहित मुबलिक रूपये 1,69,000/अंके एक लाख उनेतर हजार रूपये में बहक नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर तहसील विराट नगर जिला जयपुर राजस्थान के हित में कतई विकय कर ली है। विकित भूमि की तमाम राशि केता से नकद प्राप्त कर ली है। अब उक्त भूमि के पेटे कोई राशि शेष लेना बकाया नहीं रहा है। तथा आज से मैने अपना कब्जा हटाकर अपने समान कब्जा केता का करवा दिया है। अब केता को अधिकार होगा कि अपनी खरीद शुद्धा भूमि को अपने उपयोग व उपभोग में लेवे एवं अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवाये बेचान करे, रहन ब अ करे या अन्य किसी रूप में अन्तरिम करवाये जिसमें मुझे व मेरे वारिसान को आपत्ति उठाने का कोई हक अधिकार नहीं होगा।

लगातार.....

एनमानमय

4373 - 8/12/06

11/08/20 विद्युत पत्र
नवरंग पब्लिशिंग, इन्डिया, नैवरंगपुरा
जयपुर, राजस्थान

महादेव गुर्जर महादेव

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ

३३
 ३३
 ३३

विद्या... आर्य

2. What is the purpose of the experiment?

उपस्थितियक

10/13/1978



राजस्थान RAJASTHAN

4.

894254

अतएव मुद्रांक राशि 11,000/रुपये किता 4 (5000+2)(500+2)पर
मैने अपनी राजी खुशी बकायमी होश हवास, बिला किसी दबाव,
स्वच्छ चित, स्थिर बुद्धि की अवस्था में केता के हित में लिख दिया
है। कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। इस विक्रय पत्र की फोटो
प्रति अपठनीय हो जाने पर जिम्मेवारी उभय पक्ष की होगी। पंजीयन
एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

ह0 विकेता

रमेश चंद

साक्षी:-

1. महादेव पुत्र श्री बद्री प्रसाद
नि0 सेवरा तह0 विराट नगर

महादेव गुर्जर

2. महेश पुत्र श्री सुवा लाल गुर्जर
नि0 सेवरा तह0 विराट नगर

महेश कुमार गुर्जर

ह0 केता

सचिव

उप पंजीयक
नहमील विराटनगर (जयपुर)

नवरंग पत्रिक रजिस्ट्रार
नवरंगपुरा (जयपुर)

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V

JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010397031096	Date	31/12/2010
Presenter Name	SMT. MADHU	Document S. No	2010397030032
Presenter/Property Address	JODHULA TEH. VINATNAGAR DIST. JAIPURA/P 1-C-81 GURJAR BASTI SHASTRI NAGAR-3PRMUT		
Document Type	Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	BHEEM SAHAN GURJAR	Payment Mode	Cash
Face Value	261000	Evaluated Value	262500
		Stamp Value	5000

Ord- registration fee	2630	commission	0
csi_incre_50000	300	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	8130	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	11060

Eleven Thousand Sixty Only

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

Sub Registrar JAIPUR-V

Cashier



राजस्थान RAJASTHAN



यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर सन् 2010 ईस्वी को

श्रीमती मधू आयु लगभग 42 वर्ष धर्मपत्नी श्री मुकेश कुमार, जाति गुर्जर,
सद रजिस्ट्रार, पंचम, जयपुर

मधू

Bhoom S.

6480

13 1 DEC 2010

प्राप्त का क्रम 5000
किसान का नाम
पिता का नाम
विवाह स्थान
पत्नी

नवरात्रि के समारोह में शादी के अवसर पर
पति-सतीत नवरात्रि के अवसर पर

पति

पत्नी

SUB

★ अचल विहारी शर्मा ★

13 1 DEC 2010
जिलाधीश का कार्यालय, जयपुर
ला. नं. 724/01





निवासी जोधुला, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नम्बर 1-सी-81, गुर्जर बस्ती, शास्त्री नगर, जयपुर विक्रेता जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है की ओर से

बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेवरा, तेवडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर केता जिसे इस विक्रय पत्र में आगे चलकर शब्द द्वितीयपक्ष से सम्बोधित किया गया है के हक में लिखा गया है, जिसकी शर्तों से दोनों पक्ष व दोनों पक्षों के विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज, वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, एजेन्ट इत्यादि भी पूर्ण रूप से पाबन्द है व रहेंगे।

जो कि वाके ग्राम मैड़, पटवार क्षेत्र मैड़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड़, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टैयर कुल किता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजी की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज प्रथमपक्ष के नाम से दर्ज व अंकित है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि की बिना किसी अन्य व्यक्ति के व सीर व सांझे के एकमात्र मालिक, स्वामी, अधिकारी एवं काबिज, काश्तकार, खातेदार है, उक्त कृषि भूमि को प्रथमपक्ष ने आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति को रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि नहीं किया है, उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रथमपक्ष की ओर के प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टण्टे, ऋण भार, वाद विवाद इत्यादि से मुक्त है तथा किसी भी कर्जा, कुर्की, डिक्री व अनुबन्ध पत्र द्वारा भी बंधित नहीं है, तथा उक्त कृषि भूमि के बाबत किसी भी अन्य व्यक्ति के हित में कोई भी दस्तावेज तहरीर नहीं किया है, एवं प्रथमपक्ष को उक्त कृषि भूमि को प्रत्येक प्रकार से अपने

सदर सचिव
पंचम

महेश

Bheem

आज दिनांक 31 माह दिसम्बर सन् 2010 को 04:00 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SMT. MADHU पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MUKESH KUMAR
उस 42 वर्ष, जाति GURJAR व्यवसाय HOUSE WIFE
निवासी JODHULA TEH. VIRATNAGAR DIST. JAIPUR A/P 1-C-81 GURJAR BASTI
SHASTRI NAGAR JPR null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

मधु

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010397030032)
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर उप पंजीयक
सर. **रजिस्ट्रार, जयपुर**
पंचम



रसीद नं०	[2010397031096]
दिनांक	[31-12-2010]
पंजीयन शुल्क रु०	2630
प्रतिलिपि शुल्क रु०	0
पट्टांकन शुल्क रु०	300
अन्य शुल्क रु०	0
कमी स्टैम्प शुल्क रु०	8130
कुल योग रु०	11060

(2010397030032) उपपंजीयक, JAIPUR-V
(Sale Deed (Conveyance deed)) **रजिस्ट्रार, जयपुर**
पंचम



काम में लेने व रहन, विक्रय व हस्तान्तरित आदि करने के संपूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना हक प्राप्त है।

जो कि प्रथमपक्ष को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष ने वाके ग्राम मैड़, पटवार क्षेत्र मैड़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड़, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टैयर कुल किता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टैयर को संपूर्ण स्वत्वो व अधिकारो सहित, मय, बोल, सोल, पानी, पुला, मेड़ डोल वृक्षादि सहित के मुबलिंग 2,61,000/- रुपये अक्षरे दो लाख इकसठ हजार रुपये की एवज में द्वितीयपक्ष नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति नवरंगपुरा जरिये सचिव भीम सहन गुर्जर आयु लगभग 34 वर्ष पुत्र श्री ओमकार गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम सेवरा, तेवडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर केता को कतई विक्रय कर दी है।

यह कि खर्चा विक्रय पत्र का प्रत्येक प्रकार द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय पाया गया है, तथा द्वितीयपक्ष ने ही अलावा विक्रय मूल्यधन के अपने पास से वहन किया है।

यह कि मूल्यधन की राशि के 2,61,000/- रुपये अक्षरे दो लाख इकसठ हजार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से नगद प्राप्त कर लिये हैं, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में स्वीकार करती है, अब प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष से उक्त आराजी की कृषि भूमि के विक्रय मूल्य के पेटे कुछ भी नही रहा है, तथा ना ही भविष्य में रहेगा, तथा विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा मौके पर खाली शुदा का द्वितीयपक्ष को संभला दिया है।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत जो-जो अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त थे वे समस्त मालिकाना अधिकार अब द्वितीयपक्ष को प्राप्त हो गये हैं व रहेंगे, अब द्वितीयपक्ष विक्रय की गई कृषि भूमि को

मधु

Bheem S

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

Signature

Photo

Thumb

1 -SMT. MADHU / MUKESH KUMAR

उम्र -42 वर्ष जाति - GURJAR, व्यवसाय -HOUSE WIFE

निवासी - JODHULA TEH. VIRATNAGAR DIST. JAIPUR A/P 1-C-81

GURJAR BASTI SHASTRI NAGAR JPR



मधु

(And Claimant)

1 -BHEEM SAHAN GURJAR / OMKAR GURJAR

उम्र -34 वर्ष जाति - GURJAR व्यवसाय -SERVICE

निवासी -VILL. SEVRA TEWARI TEH. VIRATNAGAR DIST. JAIPUR

AS SEC. NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI

NAVRANGPURA



Bheem

मे लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रु० 261000/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रु० 261000/- पूर्व में ----- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री MANARAM GURJAR

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री ARJUN LAL

उम्र -33 वर्ष जाति-GURJAR व्यवसाय -SERVICE

निवासी VILL. SEVRA TEH. VIRATNAGAR DIST. JAIPUR..

Manram

2- श्री/श्रीमती/सुश्री PRAKASH CHAND GURJAR

पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री HANUMAN SAHAJ

उम्र -32 वर्ष जाति-GURJAR व्यवसाय -BUSINESS

निवासी VILL. SEVRA TEH. VIRATNAGAR DIST. JAIPUR..

Prakash

ले की है जिसके समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के विशाल मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2010397030032)

Sale Deed (Conveyance deed)

स. रजि. कार. जयपुर
पंचम





जिस तरह से भी चाहे अपने उपयोग एवं उपभोग में लेवे, स्वयं काशत करे, किसी अन्य से काशत करावे, उपरोक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि को समतल करावे, चाह का निर्माण करावाये, मोटर पम्पिंग सेट लगाकर विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करे, किराये पर देवे, किस्म परिवर्तन करावे, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को संपूर्ण को एवं खण्डों में विभाजित कर विक्रय करे, हर प्रकार से फायदा उठावे, तथा किसी भी व्यक्ति को रहन, विक्रय, बख्शीश इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करे, उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा तहरीर करे, एडवांस रुपया प्राप्त करे, विक्रय पत्र निष्पादित करावे, चुकती राशि प्राप्त करे, क्रेता को कब्जा संभलावे, इसमें प्रथमपक्ष को व उनके उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नो, प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि पर अब प्रथमपक्ष एवं उनके किसी भी वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, एजेन्ट, सदस्य आदि का किसी प्रकार का कोई हक व संबंध नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत आज से पूर्व का कोई झगड़ा-टण्टा, वाद-विवाद, सरकारी गैर सरकारी आदि का किसी प्रकार का कोई ऋण भार आदि पाया जाता है तथा उक्त बेचान के विरुद्ध कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप करता है तो उन समस्त को निपटाने व चुकाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष स्वयं की होगी तथा आज के पश्चात् की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि के बाबत अब द्वितीयपक्ष को अधिकार है वह इस विक्रय पत्र के आधार पर समस्त सरकारी विभागों एवं राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष के नाम के स्थान पर अपना नाम अंकित करा लेवे, इसमें प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरो, गवाहो, बयानों या स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता द्वितीयपक्ष को होगी तो प्रथमपक्ष

सह

Rheem

सा रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र
की मालियत रुपये 262500
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 8130 पर कमी पंजीयन शुल्क रुपये 2630 कुल रुपये 10760 जरिये रसीद संख्या
[2010397031096]
दिनांक [31-12-2010] में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रुपये 13130
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।



(2010397030032) उप पंजीयन, JAIPUR-V
स. रजिस्ट्रार, जयपुर
(Sale Deed (Conveyance deed)) पंचम

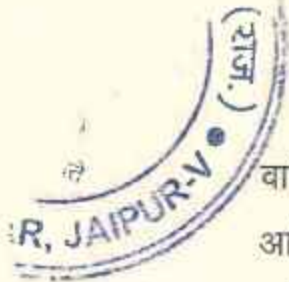
आज दिनांक 31/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 379
में पृष्ठ संख्या 195 क्रम संख्या 2010397015630 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1516
के पृष्ठ संख्या 528 से 539
पर चरपा किया गया।

(2010397030032) उप पंजीयन, JAIPUR-V
स. रजिस्ट्रार, जयपुर
Sale Deed (Conveyance deed) पंचम





6



यह कि उक्त विक्रय पत्र की तमाम शर्तों से प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, विधिक उत्तराधिकारी, प्राकृतिक वंशज प्रतिनिधि, एजेंट, सदस्य आदि सभी पाबन्द रहेंगे किसी को किसी भी शर्त का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा।

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षों ने अपनी होश हवाश की अवस्था में बिना किसी प्रकार के दबाव में आये राजी खुशी से 5000/- रुपये के एक मुद्रा पत्र व पाँच किता पेपरो पर टाईप करवाकर कर अच्छी तरह पढ़, सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर समक्ष निम्न गवाहान के कर दिये है ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 31 दिसम्बर 2010 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथमपक्ष :-

महेश

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीयपक्ष :-

Bhoom

स. रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम गवाह :-

माना रामगुजर डी. श्री अर्जुन लाल
जोब सेवरा तह विहारनगर जयपुर (राज.)

गवाह:- अमरा-चन्द

अमरा-चन्द श्री (डी. पी. ए. सुमान सहाम गज्ज)

जोब सेवरा, तह विहार नगर जिला - जयपुर (राज.)





द्वितीयपक्ष का पूर्ण लिखित एवं मौखिक सहयोग करने के लिये बाध्य है व रहेगी।

यह कि उक्त विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि या इसका कोई हक व अंश प्रथमपक्ष के स्वामित्व व अधिकार की त्रुटि के कारण द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जाता है या द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष की ओर से कोई ऋण भार, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, लगान, बैंक व जनसाधारण के वहन करने पड़ते हैं तो ऐसी संपूर्ण हानि व व्यय को द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष से व प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल संपत्ति से एक मुश्त वसूल करने का अधिकार होगा जिसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान, उत्तराधिकारी आदि को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

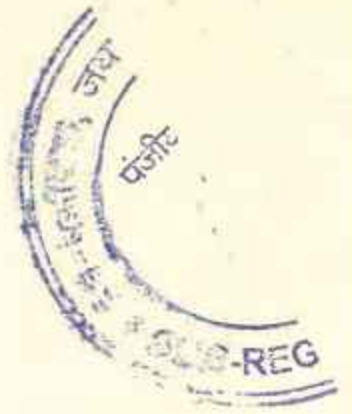
यह कि विक्रय की गई उपरोक्त कृषि भूमि वर्तमान में किसी भी सरकारी विभाग, उपक्रम द्वारा अवाप्ति में नहीं है, यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अवाप्त कर ली जाती है, तो उसकी एवज में मिलने वाली विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि से प्रथमपक्ष व उनके कानूनी उत्तराधिकारियों, वारिसानों, स्थानापन्नों, प्रतिनिधियों, एजेन्ट, सदस्य आदि का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, उपरोक्त विकसित भूमि अथवा मुआवजे की राशि इस विक्रय पत्र की अनुपालना में द्वितीयपक्ष को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सदर रजिस्ट्रार,
पंचम
जायपुर

यह कि वाके ग्राम मैड़, पटवार क्षेत्र मैड़, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मैड़, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 961 पुराना 874 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2324 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2325 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर संपूर्ण का विक्रय किया गया है तथा उक्त विक्रय की गई कृषि भूमि ग्राम की सम्पर्क सड़क से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है इस कारण विक्रय की गई कृषि भूमि की मार्केट वेल्यू विक्रय मूल्य से कतई अधिक की नहीं है।

मह

Bhoomi



[illegible]

स. म. ज. १४२-२००४-२,००,००० प्र.

1368

8/12/2010

6/10/2014

10/10/20

— 2750206



राजस्थान RAJASTHAN

K 353085



विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्वी को भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वाइसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।

लगातार 2

सचिव

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राज

पंजीयक



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में क्रेता द्वितीयपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय-पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम-मैड, पटवार हल्का-मैड, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिणयो के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समस्त प्रकार के झगड़े, टन्टो से, वाद-विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बख्शियत, जमानत, कुर्की, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

Bheas

Bheas
सचिव

एग्रीमेन्ट या संविदा कर कोई रसीद आदि लिख रखी है, अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त आराजी को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता हेतु रुपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी ग्राम-मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
722	2329	0.14 हैक्टेयर	बंजड डोल

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.14 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेढ, बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण हक हकूको सहित को मुबलिग रुपये 1,00,000/- अर्केही एक लाख रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा, जयपुर के चैक नम्बर 000103 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

[Signature]

[Signature]
सचिव



स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी का भौतिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर सम्भला दिया है।

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्चे से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा द्वितियपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितियपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितियपक्ष क्रेता का नामान्तकरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देगा। द्वितियपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितियपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त द्वितियपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितियपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे समय की बाजारु कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लें।

[Signature]
सचिव

5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके पर सिंचित है। यह आराजी सडक से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौगिक प्रतिष्ठान नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता-5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ-सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक - 20/12/2021

हस्ताक्षर साक्षीगण :-

1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री पालाराम गुर्जर
निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर
आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी



आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी

2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री भैरुराम गुर्जर
निवासी-तेवडी, तहसील-विराटनगर
आयु 45 वर्ष, पेशा-नीजी



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

[Signature]

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता

[Signature]
सचिव

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राज

उप-निजीयक

तहसील विराटनगर (जयपुर)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 20-12-2021 3:39 PM

Fee Receipt No	: 202102421002772	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIV BHEMSHAN GURJAR,	Document S. No.	: 202101421002748
Address	: 0 ,MAID ,VIRATNAGAR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000	Evaluated Value	: ₹ 189303
Ord-Registration Fee	: ₹ 1894	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 3408	Stamp Duty	: ₹ 11360
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 16962
		Total Amount	: ₹ 16962

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 56562020 ₹ 15000 # Stamp N.A. ₹ 1300

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

तहसील विराटनगर (जयपुर)

NO 10
20677
20-12-2021



K 353087



विक्रय-पत्र

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 20/12/2021 इस्वी को नारायणी देवी आयु 72 वर्ष पत्नि स्व. श्री सुरजमल, जाति-गुर्जर, निवासी-जोधूला, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में विक्रेता प्रथमपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे।

नारायणी देवी

[Signature]
सचिव

लगातार 2

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राज

उप-पञ्जीयक
विराटनगर (जयपुर)



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति मैड, जरिये सचिव श्री भीमसहन आयु 44 वर्ष पुत्र श्री ओमकार, जाति-गुर्जर, निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर, (राज.) को इस विक्रय-पत्र में क्रेता द्वितीयपक्ष कहा गया है। (इस विक्रय-पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाईनीज, उत्तराधिकारी व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय-पत्र निम्नप्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की ग्राम-मैड, पटवार हल्का-मैड, तहसील-विराटनगर, जिला-जयपुर (राज.) में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण सारिणयो के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि का प्रथमपक्ष मालिक व स्वामी है। खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अकिंत है। उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम अधिकार व कब्जे कास्त में है। किसी अन्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है। उक्त उल्लेखित आराजी आज तक समस्त प्रकार के झगडे, टन्टो से, वाद-विवादो से तथा सरकारी गैर सरकारी बैंक एवं जनसाधारण के ऋण एवं कर भार से सर्वथा मुक्त है। प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी को आज से पूर्व किसी के हित में रहन विक्रय, बख्शियत, जमानत, कुर्की, डिक्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तान्तरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई

नगरपालिका

सचिव

एग्रीमेन्ट या संविदा कर कोई रसीद आदि लिख रखी है, अर्थात् उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ है। प्रथमपक्ष विक्रेता को उक्त आराजी को हर तरह से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तान्तरित व बेचान करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपने पारिवारिक व निजी आवश्यकता हेतु रुपयों की आवश्यकता है इसलिये प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी ग्राम-मैड, में स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण सारणि के अनुसार निम्नप्रकार से है:-

सारिणी-1

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
449	2330	0.18 हैक्टेयर	चाही 2

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता-1, खसरेनम्बरान का कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि की कृषि भूमि को मय पूला, पानी, मेढ, बोल, सोल इत्यादि सहित इसमें बिना रखे किसी हक व अंश के सम्पूर्ण हक हकूको सहित को मुबलिग रुपये 1,00,000/- अर्केही एक लाख रुपये के बदले में द्वितीयपक्ष क्रेता के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि जरिये BOB Bank बैंक शाखा-शाहपुरा, जयपुर के चैक नम्बर 000104 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब उक्त आराजी के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त आराजी की तयशुदा राशि आज यह विक्रय-पत्र निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता

आराजी देवी

उप-प्रजायक
गहलोत निवासी (जयपुर)

साक्षी

नारायण चंदिका शर्मा निवासी (जयपुर)



स्वीकार करता है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त आराजी का भौतिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर सम्भला दिया है।

2. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधि इस विक्रय-पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज से पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित आराजी के जिम्मे होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्चे से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी के समस्त सरकारी राजस्व रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता बजाय अपना द्वितीयपक्ष क्रेता का नामान्तकरण दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता पड़ेगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता पूर्ण सहयोग देगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त विक्रित आराजी का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर सकेगा। द्वितीयपक्ष क्रेता उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाकर किसी को भी विक्रय, रहन, बख्शीश व हस्तांतरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित आराजी का सम्पूर्ण अथवा कोई अंश उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के अधिकार तथा कब्जे से निकल जायेगा तो उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त विक्रित आराजी के ऐसे समय की बाजार कीमत की समस्त राशि को प्रथमपक्ष विक्रेता तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे एक मुश्त वसूल कर लेवें।

आराजी देवी


सचिव

नवदंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
नवरंगपुरा (जयपुर) राज.

5. यह है कि उक्त वर्णित आराजी मौके पर सिंचित है। यह आराजी सडक से एक किलोमीटर दूर है। इसके आसपास कोई सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय व्यावसायिक व आधौगिक प्रतिष्ठान नहीं है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने द्वितियपक्ष क्रेता के हित में अपनी स्थिर बुद्धि एवं स्वस्थ इन्द्रिय की दशा में स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव व बिना किसी नशे पत्ते के 1,000/- रुपये के मुद्रांक व चार पेपर किता-5, पर निम्न साक्षीगण के समक्ष भली प्रकार से पढ-सुन व समझ कर हस्ताक्षरित लिपिबद्धकरा दिया है, ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। दिनांक - 20/12/2021

हस्ताक्षर साक्षीगण :-

1. कृष्ण कुमार गुर्जर पुत्र श्री पालाराम गुर्जर
निवासी-सेवरा, तहसील-विराटनगर
आयु 34 वर्ष, पेशा-नीजी



2. रामलीलाल गुर्जर पुत्र श्री भैरुराम गुर्जर
निवासी-तेवडी, तहसील-विराटनगर
आयु 45 वर्ष, पेशा-नीजी



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

नाथजी देवी

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष क्रेता

सचिव

महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति
महाराष्ट्र (जयपुर) सज.

उप-पञ्चायक
तहसील विराटनगर (जयपुर)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 20-12-2021 3:17 PM

Fee Receipt No	: 202102421002768	Receipt Date	: 20/12/2021
Name	: NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI MAID JARYA SACHIV BHEMSHAN GURJAR,	Document S. No.	: 202101421002744
Address	: 0, VIRATNAGAR, VIRATNAGAR, JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 100000	Evaluated Value	: ₹ 243389
Ord-Registration Fee	: ₹ 2434	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 4380	Stamp Duty	: ₹ 14604
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 21718
		Total Amount	: ₹ 21718

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

a-Gras Challan 56665719 ₹ 20418 # Stamp N.A. ₹ 1300

7/12/2021

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

7.26
3357
20-12-21

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs 1000



R 597957

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 18.07.2025 इस्वी को जगदीशनारायण पुत्र चिरंजीलाल आयु 54 साल जाति ब्राह्मण निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड राज0 हाल निवासी 33 नानू नगर, मुरलीपुरा गांव, विद्याधर नगर, जयपुर राज0 302023 का/के/की है जिसे इस विक्रय पत्र में विक्रेता प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है। (इस विक्रय पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाइनज, उत्तराधिकारी, व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे)

Tradeep

[Signature]

[Signature]

उप पंजीयक

कोटपूतली विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड)



बहक

नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति ग्राम नवरंगपुरा तहसील विराटनगर कमांक 863/जयपुर/2001-2002 जरिये सचिव प्रदीप गुर्जर पुत्र भीम सहन गुर्जर आयु 24 साल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 01, सेवरा की ढाणी तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ राज0, हिस्सा 181/231 भाग,

प्रदीप गुर्जर पुत्र भीम सहन गुर्जर आयु 24 साल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 01, सेवरा की ढाणी तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ राज0 हिस्सा 50/231 भाग की/का हूँ जिसे इस विक्रय पत्र में केता द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है। (इस विक्रय पत्र में इसके प्रतिनिधी, सहभागी, स्थानापन्न, असाइनज, उत्तराधिकारी, व वारिसान इत्यादि सम्मिलित समझे जावेगे। जिनके मध्य में उक्त विक्रय पत्र निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया गया है।

जो कि प्रथमपक्ष की वाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड़ राज0 में खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सारिणी -1

खाता संख्या नया 325

क.स.	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	2543	2.31	बंजड खारडा

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता 1 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर में प्रथम पक्षकार का हिस्सा सम्पूर्ण भाग की खातेदारी कृषि भूमि प्रथम पक्षकार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका प्रथम पक्ष मालिक व स्वामी है। उक्त भूमि खातेदारी रिकार्ड के मुताबिक व राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथम पक्ष विक्रेता के नाम से दर्ज व अंकित है।

उक्त आराजी प्रथम पक्ष के अधिकार व कब्जे काश्त में है इसमें किसी अन्य का हक व अधिकार या हिस्सा नहीं है, उक्त भूमि समस्त प्रकार के झगड़े, वाद विवाद तथा सरकारी व गैर सरकारी बैंक वित्तीय संस्थान एवं जन साधारण के ऋण व कर भार से सर्वथा मुक्त है व पाक व पवित्र हैं उक्त भूमि को प्रथम पक्ष के द्वारा विक्रय रहन, जमानत, वसीयत, डिक्री आदि से बंधित एवं हस्तान्तरित नहीं किया गया है ना ही कोई इकरारनामा या रसीद आदि लिख रखी है। अर्थात् उक्त भूमि समस्त प्रकार से, पाक व पवित्र है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता को उक्त भूमि को हर प्रकार से काम में लेने, बेचान करने या अन्य किसी रूप से हस्तान्तरित करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है।

उप पंजीयक
जयपुर विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़)

यह हैं कि अब प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी पारिवारिक व निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रुपये की आवश्यकता है। इसलिये प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि पाके ग्राम मैड पटवार हल्का मैड के खातेदारी भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

सारिणी -1

खाता संख्या नया 325

क.स.	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
1	2543	2.31	बंजड खारडा

उपरोक्त सारिणी के अनुसार कुल किता 1 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.31 हैक्टेयर में प्रथम पक्षकार का हिस्सा सम्पूर्ण भाग को यानि 2.31 हैक्टेयर भूमि को मय पूला, पानी, मेढ, बोल, सोल, सहित इसमे बिना रखे किसी हक व अंश के 41,58,000 रु अक्षरे इगतालीस लाख अठावन हजार रु मात्र में द्वितीय पक्ष नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति ग्राम नवरंगपुरा तहसील विराटनगर क्रमांक 863/जयपुर/2001-2002 जरिये सचिव प्रदीप गुर्जर पुत्र भीम सहन गुर्जर आयु 24 साल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 01, सेवरा की ढाणी तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड राज0, हिस्सा 181/231 भाग,

प्रदीप गुर्जर पुत्र भीम सहन गुर्जर आयु 24 साल जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 01, सेवरा की ढाणी तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली बहरोड राज0 हिस्सा 50/231 भाग के हित में कतई विक्रय कर दिया है।

1. यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त खातेदारी भूमि की तयशुदा विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि निम्नानुसार प्राप्त कर ली है:-

नाम केता	चैक संख्या/नकद/यूटीआर/फोन पै/दिनांक	राशि रु	बैंक शाखा/नकद	विवि
नवरंग पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति प्रदीप गुर्जर	आरटीजीएस आईडीएफसी फस्ट बैंक शाखा जयपुर के चैक संख्या 000001 दिनांक 23.06.2025 से 16,00,000 रु अक्षरे सोलह लाख रु नवरंग पब्लिक शिक्षा समिति से आरटीजीएस आईडीएफसी फस्ट बैंक शाखा जयपुर के चैक संख्या 000002 दिनांक 23.06.2025 से 16,00,000 रु अक्षरे सोलह लाख रु नवरंग पब्लिक शिक्षा समिति से आरटीजीएस यूनियन बैंक शाखा मैड के चैक संख्या 002595 दिनांक 27.06. 2025 से 9,00,000 रु अक्षरे नौ लाख रु प्रदीप गुर्जर से	41,00,000 रु	बैंक शाखा	
	कुल	41,00,000 रु		

प्रदीप गुर्जर
कतई विक्रय कर दिया है

Pradeep

इस प्रकार कुल रू प्राप्त कर लिये है। यानि कुल प्रतिफल राशि पूर्व में व अब इस भूमि के एवज में प्राप्त कर ली है। अब उक्त खातेदारी भूमि के पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं है। इस प्रकार से प्रथमपक्ष विक्रेता ने उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता से उक्त खातेदारी भूमि की तयशुदा राशि आज इस विक्रय पत्र के निष्पादित करवाते समय बतौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता/साक्षीगणों के समक्ष प्राप्त करना प्रथमपक्ष विक्रेता स्वीकार करता है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने उक्त खातेदारी भूमि का भौतिक कब्जा आज ही मौके पर जाकर द्वितीयपक्ष क्रेता को सम्मला दिया है।

2. यह है कि प्रथमपक्ष विक्रेता का कोई उत्तराधिकारी, स्थानापन्न अथवा प्रतिनिधी इस विक्रय पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठाये या आज के पहले का कोई बकाया किसी भी किस्म का उक्त विक्रित खातेदारी भूमि के जरिये होगा, तो उन सब का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष विक्रेता स्वयं अपने खर्चे से करेगा। इस विक्रय पत्र का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा मूलधन के अतिरिक्त वहन किया गया है।
3. यह है कि द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त खातेदारी भूमि के समस्त सरकारी रिकार्ड में प्रथमपक्ष विक्रेता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा सकेगा। यदि इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के बयानात व शहादत की लिखित व मौखिक आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता द्वितीय पक्ष क्रेता को सहयोग देने के लिये पूर्णतया पाबन्द रहेगा। द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त विक्रित खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग, विक्रय, रहन, बय, निर्माण, रूपान्तरण व अन्य किसी भी रूप में हस्तान्तरित कर सकेगा।
4. यह है कि प्रथम पक्ष विक्रेता के स्वामित्व व हक हकूक की त्रुटि की वजह से उक्त विक्रित खातेदारी भूमि का सम्पूर्ण व कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार व कब्जे से निकल जावेगा तो द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा की वह उक्त विक्रित खातेदारी भूमि के उस समय की बाजारू कीमत की समस्त राशि को प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उसके पश्चात उसके वारिसानों के अन्य समस्त चल - अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी चाहे एक मुश्त वसूल कर सकेगा।
5. यह है कि द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा की अपनी उक्त खरीदशुदा खातेदारी भूमि को अपने उपयोग, उपभोग में लेवे, खाता खुलवावे, रूपान्तरण करवावे, बेचान करे, रहन बय करे या मजिल दर मजिल निर्माण करावे या अन्य किसी भी रूप में परिवर्तन करे, जिसमें प्रथमपक्ष विक्रेता व उसके वारिसान को कोई आपत्ति उठाने का हक अधिकार नहीं होगा तथा उक्त खातेदारी कृषि भूमि का विक्रय प्रथम पक्ष ने अपने परिवार की पूर्ण सहमति से किया है।
6. यह है कि उक्त वर्णित आराजी खातेदारी कृषि भूमि मौके पर सिंचित है। यह आराजी सम्पर्क सडक/मुख्य सडक/एन एच से 1 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित है।
7. यह है कि प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि के साथ कुआ चाह, बोरिंग मय विद्युत कनेक्शन का भी बेचान उक्त विक्रय पत्र के साथ कर दिया गया है उक्त के नाम ट्रांसफर या अन्य किसी कार्य हेतु प्रथम पक्ष के किसी अन्य हस्ताक्षर, प्रतिहस्ताक्षर, लिखित या मौखिक सहमति, शपथ पत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी उक्त विक्रय पत्र ही मान्य व सम्पूर्ण होगा।

उप पंजीयक
कसील विधाननगर (कोटपुतली-गन्ना) 

अतः यह विक्रय पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपने पूर्ण होश हवास, स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त व विवेक से, स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी नशे पते से, बिना किसी दबाव के 1000 रु के 1 मुद्राक पत्र व 4 पाइप पेपर पर कुल किता 5 पर निम्न गवाहो के सामने भलीभांती पढ - सुन व समझकर हस्ताक्षर कर लिपीबद्ध कर दिया है। ताकि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। उक्त दस्तावेज हम केता विक्रेता ने स्वयं तैयार करवाया है ओर दो गवाहान के समक्ष पढ सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर किये है।



हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

गवाह:-

1. बबलू गुर्जर पुत्र बाबूलाल गुर्जर जाति गुर्जर
उम्र 28 साल निवासी जोधूला
तहसील विराटनगर पेशा निजी



हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

2. श्याम सुन्दर गुर्जर पुत्र देवकरण गुर्जर जाति गुर्जर
उम्र 25 साल निवासी सेवरा
तहसील विराटनगर पेशा निजी



उप पंजीयक
तहसील विराटनगर (विशेषज्ञ) - राज.



Endorsement of Execut

Print Date: 7/18/2025 3:12:45 PM

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/शुभी JAGDISH NARAYAN , पुत्र/पुत्री/पति श्री CHIRANGI LAL , व्यवसाय Other/कानि 10138-BRAHMAN House No.:0, Colony: 0, Area: MED , City: JAIPUR , Pin code: 303003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 54 Signature :
2 श्री/श्रीमती/शुभी NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI GRAM NAVRANGPURA JARIYE SACHIV PRADÉEP GURJAR , पुत्र/पुत्री/पति श्री BHEEM SAHAN GURJAR , व्यवसाय Other/कानि 895-GURJAR House No.:0, Colony: 0, Area: SEVRA , City: VIRATNAGAR , Pin code: 303003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 23 Signature :
3 श्री/श्रीमती/शुभी PRADÉEP GURJAR , पुत्र/पुत्री/पति श्री BHEEM SAHAN GURJAR , व्यवसाय Other/कानि 895-GURJAR House No.:0, Colony: 0, Area: SEVRA , City: VIRATNAGAR , Pin code: 303003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 23 Signature :

मैं लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ मुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।
प्रतिफल राशि रु 4100000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 4100000/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/शुभी BABLU GURJAR , पुत्र/पुत्री/पति श्री BABULAL GURJAR कानि GURJAR Age: 28 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: JODHULA , City: VIRATNAGAR , Pin code: 303003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2 Name: श्री/श्रीमती/शुभी SHYAM SUNDAR GURJAR , पुत्र/पुत्री/पति श्री DEVKARAN GURJAR कानि GURJAR Age: 25 Add: House No.:0, Colony: 0, Area: SEVRA , City: VIRATNAGAR , Pin code: 303003, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202501421002949

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, VIRATNAGER
सब पंजीयक

कहसोल विराटनगर कोटपालिका

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : VIRATNAGER

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 2 (Rule 75 & 131)

Print Date : 18-07-2025 3:05 PM

Fee Receipt No	: 202502421003031	Receipt Date	: 18/07/2025
Name	: PRADEEP GURJAR	Document S. No.	: 202501421002949
Address	: 0,0 ,VIRATNAGAR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 4100000		
Ord-Registration Fee	: ₹ 41580	Evaluated Value	: ₹ 4158000
CSI	: ₹ 300	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
Stamp (Memorandum)	: ₹	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 74844	Reg (memorandum)	: ₹
Penalty	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 249480
Us_25_34	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Custody	: ₹	Commission	: ₹ 0
Site Inspection Fees	: 500	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 366704
		Total Amount	: ₹ 366704

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Chalan 108096199 ₹ 365404 # Stamp 152 ₹ 1300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
Send date of return receipt

SUB-REGISTRAR